राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 26/21

दायर दिनांक 22.09.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. नानू पुत्र बोदू जाति जाट नि0 ग्राम भदूण तहसील रूपनगढ़

—–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू–राज0अधि0 1956

निर्णय

दिनांक 22.06.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम भदूण, भू–अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 136 के ख0न0 570 रकवा 0.7361 है0, ख0न0 572 रकबा 1.7231 है0, ख0न0 895/569 रकबा 0.5258 है0, ख0न0 900/570 रकबा 1.8930 है0 भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण है तथा खाता संख्या नया 456 के ख0न0 573 रकबा 0.4854 है0 भूमि है जिसमें मेरा हिस्सा सम्पूर्ण है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज हैं। प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व पडौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी निर्बाध रूप से अपनी कृषि आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं तथा प्रार्थी को अपने खेतो में भूमि की बुवाई, जुताई, विजाई, निराई–गुडाई, जोत करने तथा नींव, मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा रूकावट पैदा ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में (अप्रार्थी तहसीलदार) रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया।वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भदूण के खाता संख्या 136 के ख0न0 570 रकबा 0.7361 है0, ख0न0 572 रकबा 1.7231 है0, ख0न0 895/569 रकबा 0.5258 है0, ख0न0 900/570 रकबा 1.8930 है0, खाता संख्या नया 456 के ख0न0 573 रकबा 0.4854 है0 भूमि के पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)